

20/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपास्थिता
 प्रतिबंध. 2 का उच्चाव अवसर बन्द
 किया जाया है। पत्रावली वास्ते पुनः
 तलवी नये पते पर प्रतिबंध. 1 फिंके
 15/5/25 को पेश हो।

[Signature]
 20/3/25

15⁵/₂₅ पत्रावली पेश हुई। शक्ति भाषण वारीगण अनुपस्थित
 वारीगण भी अनुपस्थित। तीन बार एक एक कर
 आवाजे लगाई गई परन्तु कोई भी उपस्थित
 नहीं हुए। अतः प्रकरण कानूनी कादेश
 09 R 8 एच एल अदालत हाजरी, अदालत चैरनी
 में दायरीज किया जाता है। पत्रावली के जल
 शुभार होकर दायरीज दफ्तार हो।

[Signature]
 15/5/25

उपखण्ड अधिकारी
 पिप्रावा, जिला बालासोर (राज.)

